

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध ज़मानत आवेदन संख्या - 42952 वर्ष 2025

सरफ़राज़

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

....विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	आदर्श कुमार सिंह, अंकित तिवारी
विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अरिमर्दन यादव तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

यह ज़मानत अर्जी अभियुक्त-आवेदक की ओर से, केस अपराध संख्या 611/2025 में ज़मानत पर रिहाई की मांग करते हुए प्रस्तुत की गई है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 3(5); सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-C, 66-डी; तथा भारतीय दूरसंचार अधिनियम की धारा 42(1), 42(2)ए, 42(3) (बी)(सी)(डी)(एफ)(ई), 42(6) के अंतर्गत, पुलिस थाना लिसाड़ी गेट, जनपद मेरठ में पंजीकृत है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है और उसे इस केस अपराध संख्या में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोप के अनुसार, आवेदक एक अवैध टेलीफोन एक्सचेंज संचालित कर रहा था। उन्होंने निवेदन किया कि यद्यपि आवेदक का नाम एफआईआर में दर्ज है, तथापि वह उक्त अपराध में संलिप्त नहीं है और पुलिस ने किसी दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के चलते उसे झूठा

फंसाया है। उन्होंने निवेदन किया कि कथित घटना का कोई भी स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि वर्तमान मामले में आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है और संबंधित न्यायालय ने उसका संज्ञान भी ले लिया है; अतः आवेदक की अब किसी भी प्रकार की अग्रिम पुलिस हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। आवेदक 06.09.2025 से जेल में बंद है। वह निवेदन करता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह निवेदन करता है कि यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो उसके न्याय की प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः, जमानत की प्रार्थना की गई है।

माननीय एजीए ने जमानत की अर्जी का ज़ोरदार विरोध किया है। उन्होंने दलील दी कि जांच अधिकारी ने ऐसे भरोसेमंद सबूत इकट्ठा किए हैं जिनसे यह पता चलता है कि आवेदक पर दूसरे सह-आरोपियों के साथ मिलकर सिम बॉक्स पर आधारित एक गैर-कानूनी टेलीफोन एक्सचेंज चलाने का आरोप है। उसने अंतरराष्ट्रीय कॉल्स को वॉइस कॉल्स में बदलकर भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है, राजस्व का भारी नुकसान किया है और कॉल करने वाले लोगों की पहचान छिपाई है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक ने अपने कब्जे से एक सफ़ेद रंग का वाई-फ़ाई राउटर और एक जियो राउटर बरामद होने की बात तो मानी है, लेकिन बरामदगी मेमो में आवेदक के कब्जे से चार राउटर बरामद होना दिखाया गया है; इससे यह ज़ाहिर होता है कि आवेदक ऊपर बताए गए अपराध में बड़े पैमाने पर शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि आवेदक को घटनास्थल से दूसरे सह-आरोपियों के साथ ही गिरफ़्तार किया गया था, इसलिए आवेदक अदालत से किसी भी तरह की राहत पाने का हकदार नहीं है।

इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस चरण पर सबूतों पर विस्तार से चर्चा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे आरोपी के मुक़दमे पर असर पड़ने की संभावना है। लेकिन, अब तक की जांच के दौरान इकट्ठा किए गए सबूतों को देखने पर, पहली नज़र में, इस मामले में आरोपी की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। आवेदक/आरोपी को झूठा फंसाने का कोई

कारण नहीं मिला है। इसलिए, इस चरण पर आवेदक-आरोपी को ज़मानत पर रिहा करने का कोई ठोस आधार नहीं है। आवेदक के वकील द्वारा उठाए गए सभी तर्क मामले के गुण-दोष से संबंधित हैं, और ज़मानत देने की अर्ज़ी पर विचार करते समय इन पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। इस चरण पर अदालत यह राय बनाने में असमर्थ है कि आरोपी ने कोई अपराध नहीं किया है।

अंत में, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता और सज़ा की कठोरता को देखते हुए, मेरी राय में, ज़मानत का कोई मामला नहीं बनता है। तदनुसार, ज़मानत की अर्ज़ी को इसके द्वारा खारिज किया जाता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि ज़मानत की अर्ज़ी के संबंध में की गई टिप्पणियां केवल ज़मानत की अर्ज़ी पर फैसले तक ही सीमित हैं, और यहाँ की गई किसी भी टिप्पणी का मामले के मुक़दमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

8 जनवरी, 2026

न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव